(604)

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5
COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

माननीय न्यायालय रैवेन्यु बोर्ड ग्वालियर

निगरानी 6397/2018/मंदसौर/भू.रा.

प्रकरण क. / 2018 निगरानी जिला मंदसौर

श्री ... द्वारा आज दि. 4-12-18 प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-12-18 नियत।

1– सोहनलाल पिता नानालाल सुराना आदी –132

निवासी– ग्राम दलौदा चौपाटी तह. दलौदा जिला मंदसौर

——————— निगरानीकर्ता आवेदक

बनाम

1–ऑजना कस्ट्रक्शन कंपनी ग्राम केसुन्दा जिला चित्तोडगढ राजस्थान

द्वारा:– मुख्त्यार आम रामलाल पिता रतनलाल आंजना

निवासी– बसाड तह. व जिला प्रतापगढ राजस्थान

2– परिसमापक अधिकारी

दी जीवाजीराव शुगर मिल कंपनी लिमिटेड दलौदा जिला मंदसौर म. प्र.

3– म. प्र. शासन

द्वारा :– तहसीलदार तह. दलौदा जिला मंदसौर म. प्र.

——————— अनावेदगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भु. रा. स. 1959 के अन्तर्गत ब नाराजी आदेश अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालीन प्रकरण क. 1520 अपील 2016–17 (पुराना प्रकरण क. 198 अपील 2014–15 के पारित आदेश दिनांक 09/10/2018 से दुखी होकर निगरानी आवेदन समय अवधि मे पेश है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 6397/2018/मंदसौर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री हस्तीमल भटेवरा उपास्थित । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता श्री आर0के0 बाकलिया उपस्थित एवं अनावेदक क्रमांक 3 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपिस्थत । आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्क दोहराते हुए निगरानी ग्राह्य करने एवं अपर आयुक्त के आदेश को स्थगित करने का अनुरोध किया । जबाव में कैवियटकर्ता/अनावेदक क्रं0 1 अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उन्होंने आलोच्य भूमि नीलामी में क्रय की है और क्रय किये जाने के आधार पर डी0आर0टी0 द्वारा सेल सर्टिफिकेट जारी किया गया है । सेल सर्टीफिकेट के आधार पर नामांतरण न करने में विचारण न्यायालय ने त्रुटि की है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय भी अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में है । इस संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 535/2012में पारित आदेश दिनांक 19-6-17 एवं रिट याचिका क्रमांक 8675/2011 में पारित आदेश दिनांक 2-4-18 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी अपील क्रमांक 25/2001 में पारित आदेश दिनांक 11-12-17 का हवाला दिया गया तथा यह कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने के कारण राजस्व अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना का प्रकरण भी पेश किया गया है । यह भी कहा गया कि शासन द्वारा सिविल न्यायालय में व्यवहार वाद पेश किया गया है, सिविल वाद में भी आवेदक को स्थगन प्राप्त नहीं हुआ है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के समस्त तथ्यों का विस्तार से उल्लिखित करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है और ना ही निगरानी ग्राह्य करने एवं स्थगन देने का कोई आधार	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आलोच्य आदेश द्वितीय अपील में पारित किया है और संहिता में दिनांक 25-9-18 द्वारा किये गये संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल में निगरानी का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है । अत: आवेदक की निगरानी निरस्त की जाये । आवेदक शासन के अधिवक्ता संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय को इस प्रकरण को सुनने का अधिकार किस प्रकार है, स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ रहे । आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, इस कारण इस न्यायालय में निगरानी प्रचलन योग्य है, भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा द्वितीय अपील में पारित आलोच्य आदेश अंतिम स्वरूप का आदेश है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि संहिता में हुए नवीन संशोधन जो 25-9-18 से प्रभावी हुआ है के प्रकाश में यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल में निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । अत: यह निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशासकीय सदस्य	